न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/8087/2006/करौली

1– श्रीमति भौरीबाई बेवा चौथया जाति बैरवा निवासी भौमपुरा (डिकोली) तहसील सपोटरा जिला करौली।

2– श्रीमति कंचन बाई पुत्री चौथया पत्नि श्री भरोसी जाति बैरवा निवासी हजारीपुरा तहसील व जिला करौली।

....अपीलार्थी

बनाम

1– राधे पुत्र बिशनया जाति बैरवा निवासी भौमपुरा (डिकोली) तहसील सपोटरा, जिला करौली।

2– बद्री पुत्र कन्हैया जाति बैरवा निवासी भौमपुरा (डिकोली) तहसील सपोटरा, जिला करौली।

3– तहसीलदार सपोटरा

....प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य
श्री मोडूदान देथा, सदस्य

उपस्थितः–
श्री वरूण गोयल, ब्रीफ होल्डर अधिवक्ता अपीलार्थी।
श्री वैभव पारीक, ब्रीफ होल्डर अधिवक्ता प्रत्यर्थी।

––

निर्णय

दिनांक19–12–19

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 25 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर द्वारा अपील सं0

137/2005 में पारित किए गए निर्णय दिनांक 22–09–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी/वादी ने उप जिला कलक्टर, सपोटरा के न्यायालय में एक वाद घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व बंटवारा तथा स्थाई निषेधाज्ञा का विवादित आराजी खसरा नं0 15/1 बीघा 4 बिस्वा, 22 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, 46 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, 56 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा कुल रकबा 10 बीघा 5 बिस्वा बाबत् पेश कर कथन किया कि वादी के पिता एवं प्रतिवादी सं0 1 ससुर व 2 के नाना बिशन्या व उनके पिता का कब्जा काश्त चला आ रहा है। जागीर रिजम्शन के समय इसकी खातेदारी मेरे बड़े भाई चौथ्या पुत्र बिशन्या के नाम हो गई। चौथ्या, वादी का पिता रहा है और वादी ही उसे गंगाजी ले गया व क्रिया कर्म किए थे व पगड़ी भी वादी के ही बंधी थी। मुताबिक सजरा वादी का चौथया की आराजी में 1/2 हिस्सा निहित है। आराजी खसरा नं0 22 को प्रतिवादी सं0 3 को विक्रय कर दिया। प्रतिवादी ने धमकी दी है कि बाकी सम्पूर्ण भूमि को हम अन्य को बय करेंगे तथा हमारे कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करने की धमकी दी है। अतः वाद वादी डिक्री कर 1/2 हिस्से पर वादी को खातेदार अलग से घोषित किया जावें, विवादित आराजी का बंटवारा कया जावें व प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावें। बाद सुनवाई विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 11–08–2005 द्वारा वाद को प्राथमिक डिक्री किया। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर के न्यायालय में प्रथम अपील पेश की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 22–09–2006 द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11–08–2005 को निरस्त कर दिया तथा प्रकरण उप जिला कलक्टर, सपोटरा को निर्देश के साथ रिमाण्ड किया। उक्त निर्णय से अप्रसन्न होकर यह द्वितीय अपील मण्डल में पेश की गई है।

3– हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4– योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने द्वितीय अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिया कि अधीनस्थ अपील न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर जमाबंदी सं0 2061 उपलब्ध थी, जिसके अनुसार अपीलार्थी विवादित भूमि के खातेदार है अर्थात जब पत्रावली पर पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है इसके बावजूद भी अधीनस्थ अपील न्यायालय ने प्रकरण को विचारण न्यायालय को रिमाण्ड करने में त्रुटि की है। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने 2006 आर0आर0डी0 515, 1993 (3) एस0सी0सी0 पेज 161, 2001 आर0बी0जे0 पेज 75, 2003 (3) आर0एल0आर0 पेज 152, 2006 आर0आर0टी0 पेज 1 व 2003 (2) डी0एन0जे0 पेज 851 के न्यायिक दृष्टांत का सहारा लिया।

5– योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने तर्क दिया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय उचित एवं विधिसम्मत् है, जिसमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है, क्योंकि प्रकरण को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित किए जाने हेतु रिमाण्ड किया गया है। अतः द्वितीय अपील खारिज की जावें। अपने तर्को के समर्थन में योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने 2016 (2) आर0आर0टी0 1102, 2016 (2)डी0एन0जे0 राज0 पेज 504, 2015 (2) आर0आर0टी0 पेज 1049,2009 डी0एन0जे0 एस0सी0 पेज 36 व 2011 (2) डी0एन0जे0 राज0 पेज 876 के न्यायिक दृष्टांत पेश किए।

6– हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख व प्रस्तुत किए गए न्यायिक दृष्टांतों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

7– वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी/वादी का वाद विशन्या की विरासत के आधार पर लाया गया था। विचारण न्यायालय द्वारा तनकी सं0 1 आया आराजी विशन्या की खातेदारी व कब्जे काश्त की रही है, का निस्तारण वादी के पक्ष में किया गया है जबकि प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर विशन्या की खातेदारी का कोई संदेह से परे साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं था, ऐसी स्थिति में तनकी सं0

1 का निस्तारण जिस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा वादी के पक्ष में किया गया है वह न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता, इसी आधार पर प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण को साक्ष्य के आधार पर पुनः निर्णित करने हेतु प्रेषित किया है। हमारी सुविचारित राय में प्रथम अपीलीय न्यायालय का उक्त निष्कर्ष पूर्णतया विधिसम्मत है, जिसमें द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किए जाने का कोई औचित्य है। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा पेश किए गए न्यायिक दृष्टांत प्रश्नगत प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने के कारण हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा नहीं होते है। अतः द्वितीय अपील खारिज किया जाना हम उचित समझते है।

8– अतः यह द्वितीय अपील खारिज की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22–09–2006 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोडूदान देथा)
सदस्य

(शिखर अग्रवाल)
सदस्य